डेढ़ करोड़ की चंदन की लकड़ी के साथ अरेस्ट

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। नार्थ वैस्ट जिले के थाना स्वरूप नगर की पुलिस टीम ने एक आरोपी को अरेस्ट कर उसके पास से 2545 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ी बरामद की है। आरोपी का नाम पप्पू है। 42 वर्षीय पप्पू बुराड़ी का रहने वाला है। इसके पास से बरामद चंदन की लकड़ी की कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए है।

नार्थ वैस्ट जिले के डीसीपी विजय सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चार अप्रैल को थाना स्वरूप नगर को एक इनपुट मिला जिससे पता चला कि कोई शख्स बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी लेकर जा रहा है। इस इनपुट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए एक टीम तैयार की गई जिसने बुराड़ी में अमृत विहार के पास ट्रेप लगाकर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उसके ट्रक से 790 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की गई। इसके बाद उसकी निशानदेही पर शंकरपुरा रोड, बुराड़ी के लक्ष्मी विहार में एक किराये के गोदाम में शेष 1755 किलोग्राम लाल चंदन की लकड़ी बरामद की गई। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी को एसीपी जहांगीरपुरी प्रशांत गौतम के सुपरविजन और एसएचओ स्वरूप नगर भरत राम के नेतृत्व में एसआई जगदीप, हैड कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल सोनू की टीम ने अरेस्ट किया।

नार्थ वैस्ट जिले के थाना स्वरूप नगर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और उससे बरावम चंदन की लकड़ी।

नीदो तानिया मामला: उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत पर सवाल उठाए

नई दिल्ली, (विसं)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अरूणाचल प्रदेश के छात्र नीदो तानिया की मौत के संबंध में सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत के क्षेत्राधिकार पर सवाल खड़े किये। उच्च न्यायालय ने पूछा कि जब आरोपियों के खिलाफ अजा, अजजा कानून के तहत आरोप हट गये हैं तो वह इस मामले की सुनवाई कैसे कर सकती है। न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने सीबीआई और आरोपियों के वकील से पूछा, ''क्या विशेष कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित विशेष अदालत आरोपियों के खिलाफ अजा, अजजा कानून के तहत आरोप हटने के बाद मामले की सुनवाई कर सकती है या नहीं।'' न्यायाधीश ने कहा कि जब विशेष अदालत खुद आरोपियों को आरोपमुक्त कर चुकी है तो वह कार्यवाही कैसे कर सकती है। न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि जब तक स्पष्ट आदेश नहीं दिये जाएं, अजा, अजजा कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश को अपने सामने मामला नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले को किसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था।

नाबालिग लड़की की किडनैपिंग का आरोपी गिरफ्तार

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिण पूर्वी जिले के थाना न्यू फ्रेंड्स कालोनी की पुलिस टीम ने एक नाबालिग लड़की की क़िडनैपिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल मुक्त करा लिया है। आरोपी का नाम जगदीश उर्फ जल्लू है।

दक्षिण पूर्व जिले के डीसीपी एमएस रंधावा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30 मार्च को तैमूर नगर की झुग्गी पहाड़ी पर रहने वाले गिरधारी लाल ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वह महोबा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में मजदूरी करते हैं। उनकी छह साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी जोकि अब लापता है। इस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए एसीपी अनिल कुमार यादव के सुपरविजन और एसएचओ न्यू फ्रेंड्स कालोनी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई जिसने लड़की का फोटोग्राफ अरेंज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी। इसी बीच पलिस टीम को पता चला कि वहीं पड़ोस में रहने वाला एक शख्स जगदीश भी उसी दिन से गायब है। जब पुलिस ने जगदीश के बारे में खोजबीन की तो पता चला कि वह भी उसी दिन से गायब है जब से लड़की लापता हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि लड़की जगदीश के पास है और वह टीकमगमध्यप्रदेश के एक गांव का रहने वाला है। तुरन्त एक पुलिस टीम को उसके गांव भेजा गया। वहां पहुंचने पर पुलिस को वहां जगदीश नहीं मिला क्योंकि वह दो अप्रैल को ही वहां से जा चुका था। पुलिस को यह भी पता चला कि जगदीश को लूट के एक मामले में पांच साल की सजा हुई थी और वह दिसम्बर 2015 में ही जेल से छूटा था। इसी बीच पुलिस जगदीश का पता लगाने में जुटी रही। उसे पता चला कि जगदीश की बातचीत उसके भाई से फोन पर हुई थी। पुलिस टीम ने तुरन्त उसकी लोकेशन खोजकर चार अप्रैल को उसे जैतपुर, आगरा से अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने लड़की को बेचकर बड़ी रकम कमाने के इरादे से इस क़िडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया था।

दक्षिण पूर्व जिले के थाना न्यू फ्रैंडस कालोनी पुलिस की गिरफ्त में नाबालिग लड़की के किडनैपिंग का आरोपी जगदीश उर्फ जल्लू।

IN THE COURT OF Sh. Amit Arora, Administrative Civil Judge-Cum-Commercial Civil Judge-Cum-Addl. Rent Controller (North District) Room No. 215, Rohini Courts, Delhi.
SCC No. 13/2016
Sh. Darshan Singh S/o Late Sh. Raghbir Singh, R/o H.No. 272, Vill., Khera Khurd, Khera Kalan, Delhi. .....(Petitioner)
V/s
STATE &Ors. ....(Respondent)
FOR SUCCESSION CERTIFICATE UNDER SUCCESSION ACT-1925
All concerned whereas in the above noted petition the applicant/ petitioner has applied for Succession Certificate under Section 372 of the Indian Succession Act-1925 in respect of debts and securities i.e. Amount lying i.e. Amount lying with in Saving A/c with Central Bank of India, KheraKhurd, Delhi with interest (if any) thereon lying in the above mentioned A/c of deceased Sh. Raghubir Singh S/o Late Sh. Chandgi Ram and DEBT/Securites left behind the deceased Sh. Raghubir Singh S/o late Sh. Chandgi Ram.
Whereas on 12/04/2016 at 10 o'clock in the forenoon has been fixed for hearing.
The application notice is hereby given under my hand and seal of the court this on15/03/2016.
SEAL **ADMN. CIVIL JUDGE-CUM-CCJ-Cum- ARC (North) ROHNI COURTS DELHI.**

अंकित गुप्ता के मर्डर का आरोपी अरेस्ट

प्रभाकर शर्मा

- **अंकित की हत्या के बाद किए थे फिरौती के लिए फोन**
- **जनवरी में ही बना ली थी योजना**

नई दिल्ली। आखिरकार 17 वर्षीय अंकित गुप्ता के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ही ली गई। पूर्वी जिले की एसटीएफ और थाना वेलकम की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवांई करते हुए अंकित की हत्या के आरोप में एक नाबालिग सहित दो को पकड़ा है। आरोपी का नाम जीशान है। जीशान अक़ित से नाबालिग की मार्फत मिला था। पुलिस ने जीशान के पास से वारदात में इस्तेमाल एक वैगनआर, फिरौती मांगने के लिए इस्तेमाल सिम, अंकित का सोने का लाकेट और मेमोरी कार्ड, वारदात के समय पहने गए जीशान के कपड़े और जूते और अक़ित का आई-कार्ड बरामद किया है जबकि नाबालिग के पास से अल्टो कार, बाइक, अंकित का पर्स वारदात के समय नाबालिग द्वारा पहने गए कपड़े और जूते बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस को जीशान के फ्लैट से रस्सी, अंकित के जूते और उसकी शर्ट भी मिली है।

नार्थ ईस्ट जिले की डीसीपी डॉ. एके सिंगला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को बाबरपुर की हरिओम गली में रहने वाले अंकित गुप्ता के किडनैप होने की शिकायत उसके पिता अनिल गुप्ता ने दर्ज कराई थी। अगले ही दिन श्री गुप्ता को फोन पर अंकित की रिहाई के लिए एक करोड़ रुपए की फिरौती देने के लिए कहा गया। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद फिरौती की रकम 20 लाख रुपए तय हो गई। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए नार्थ वैस्ट जिले के एडिशनल डीसीपी I और II तथा एसीपी शाहदरा के नेतृत्व में कई टीमें बना दी गईं जिनकी सुपरविजन खुद डीसीपी सिंगला कर रहे थे। जांच पड़ताल के दौरान एसटीएफ इंचार्ज पूर्वी दिल्ली इंस्पेक्टर केजी त्यागी की टीम के साथ-साथ एसएचो वेलकम प्रशांत की टीमों ने अंकित के दोस्तों-रिश्तेदारों के बारे में बारीकी से छानबीन की।

उसके फोन का काल डेटा रिकार्डर (सीडीआर) भी खंगाला गया। जिसने एक भी काल अंकित के फोन पर की थी पुलिस टीम ने उससे भी पूछताछ की। अंत में पुलिस के शक की सुई एक नाबालिग सहित दो लोगों पर आकर ठहर गई। जिसमें से एक आरोपी नाबालिग अंकित का दोस्त था जबकि आरोपी जीशान नाबालिग के जरिए अंकित को जानता था। कड़ी पूछताछ के दौरान जीशान ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उन दोनों ने जनवरी 2016 में ही किडनैपिंग की योजना बना ली थी। इसके लिए उन्होंने फर्जी नाम-पते पर तीन प्री एक्टिव मोबाइल सिमों का इंतजाम किया। इसके बाद योजना के अनुसार नाबालिग ने फोन कर अंकित को बुलाया। फिर वह वैगनआर से यमुना विहार गए। वहां पर जीशान उन दोनों से मिला फिर वह तीनों सुभाष मुहल्ले में जीशान के एक रिश्तेदार के फ्लैट पर पहुंचे। वहां तीनों ने बीयर पी। इसके बाद दोनों के उकसाने पर अंकित ने शराब का एक पव्वा भी पी लिया जिससे उसे नशा हो गया। जैसे ही अंकित को नशा हुआ, दोनों ने अंकित की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को जूट बैग में बंद कर 11/12 फरवरी की रात को ही अल्टो में रखा और उसे उत्तर प्रदेश के दादरी में डाल आए। इसके बाद उन्होंने फिरौती के लिए अंकित के पिता को फोन किया लेकिन अंकित के पिता बिना अंकित से बात किए हुए रकम देने को तैयार नहीं थे। जब उन्हें लगा कि यहां से उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा तो उन्होंने अंकित के पिता को फोन करना बंद कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

अहीर रेजीमेंट गठन को लेकर यादवों की हुई मीटिंग

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली स्थित ब्लयू ईस्पायर मोटल व रिजोट के हॉल में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने अहीर रेजीमेंट गठन को लेकर मीटींग का आयोजन किया। यह मीटींग पूर्व जस्टिस व कावेरी जल निपटारा कमेटी के चेयरमैन एन.एस.राव की अध्यक्षता में हुई। मीटींग में देश के कई राज्यों से आये हुए यादव बंधुओं ने भाग लिया और अहीर रेजीमेंट गठन कैसे हो, इसके लिए क्या कदम उठाये जाये, इस पर विचार रखे और सुझाव भी दिये। इस मौके पर ब्ल्यू स्पायर के मालिक सुदेश यादव, यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष विजेन्द्र यादव, राव अजीत सिंह, यादव भारत रत्न रामदत यादव, बीटीडब्ल्यूए इंडिया के मालिक सतीराम यादव, सुषमा यादव, निशा यादव, निर्मल यादव, भानूश्री यादव, संजीव यादव, चिरंजीलाल यादव, केहर सिंह यादव, एडवोकेट गौरव यादव, रवि यादव, अजय बीर यादव, राम नरेश यादव, पुष्पेन्द्र यादव, राकेश यादव, पारस यादव, राम सागर यादव, धर्मराज यादव, हुकुमंचद यादव, त्रिवेणी यादव, हेमंत यादव, साहिल यादव, नवीन कुमार, मुकेश यादव सहित कई बुद्धिजीवी यादवों ने विचार रखे। मीटींग के दौरान प्रसिद्व समाज सेवी व ब्ल्यू स्पायर के मालिक सुदेश यादव को अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के चेयरमैन की कमान भी सौंपी गई। पूर्व जस्टिस एनएस राव ने कहा कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने की लिए योजनाबद्व तरीके से चलना जरूरी है, इसलिए मैं यदुवंशी महासभा के पदाधिकारियों को यह कहना चाहता हूं कि वह रेजीमेंट गठन को लेकर एक योजना जरूर बनाये। तभी यह मुहिम पूर्ण हो पायेगी। राव अजीत सिंह ने कहा कि हमें लोगों को अहीर रेजीमेंट के फायदों से अवगत कराना होगा और उन्हें जागरूक भी करना होगा। ताकि यादव समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में जागरूक हो सके।

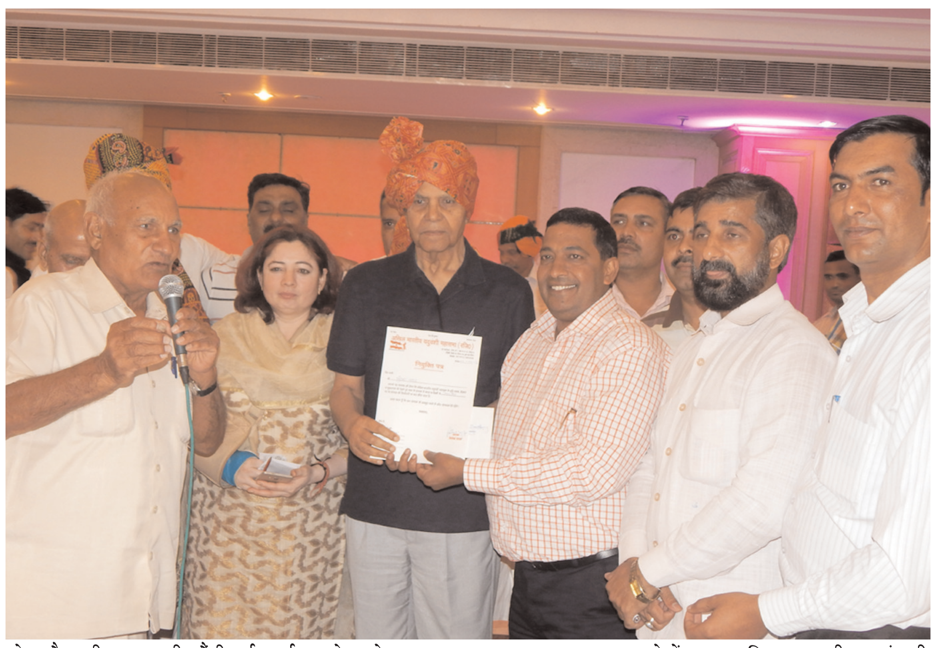

इस अवसर पर सुदेश यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जागरूक समाज से ही देश का विकास होगा, इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों का जागरूक होना जरूरी है। सुदेश यादव ने आगे कहा कि अहीर रेजीमेंट को लेकर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा जो देशव्यापी अंदोलन चलाने जा रही है। यह एक अच्छा कार्य है। इससे देश के यादव समाज के लोग अहिर रेजीमेंट के प्रति जागरूक होगें।

मीटींग में आये हुए सभी गणमान्य लोगों का अखिल भारतीय यदुंवशी महासभा के राष्टकृीय अध्यक्ष विजेन्द्र यादव ने धन्यवाद किया। विजेन्द्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ.में अहिर रेजीमेंट सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा और एक मई को यदुवंशी महासभा गुजरात के द्वारका धाम से रथ यात्रा की शुरूआत भी करेगी और यह रथ देश के कई जिलों में जायेगा और रथ यात्रा के दौरान यादव समाज के लोगों को अहीर रेजीमेंट गठन के फायदों से अवगत कराया जायेगा।

उच्च न्यायालय से कहा गया, दिल्ली शासन का मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए

नई दिल्ली, (विसं)। आम आदमी पार्टी सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शासन पर उपराज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 239एए की व्याख्या के मुद्दे पर उसके सामने मौजूद याचिकाओं को किसी बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। दिल्ली सरकार ने मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ के सामने एक आवेदन दायर करके यह अनुरोध किया। याचिका में कहा गया कि चूंकि यह मुद्दा ''संविधान की व्याख्या से जुड़ा'' है और यह ''बड़े लोक महत्व के कानून का मूल प्रश्न उठाता है'' इसलिए इसे उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ को सुनना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं इंदिरा जयसिंह, राजीव दत्ता, विश्वजीत भट्टाचार्य और एचएस फूलका ने अदालत से ''शुरूआती मुद्दे'' के रूप में यह फैसला करने को कहा।

nf{k.kkpy fo|r forj.k fuxe fy-] ¼m- i½- ljdkj dk miØe½

निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुभवी ठेकेदारों से (जिन्हें निम्नलिखित कार्य करने का विस्तृत अनुभव हो) मोहरबन्द निविदा दो भागों में (प्रथम भाग में धरोहर राशि एवं अनुभव प्रमाण इत्यादि) आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्मुख अंकित नकद भुगतान इस कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.04.2016 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदा प्रपत्र क्रय किए जा सकते हैं। निविदा दिनांक 27.04.2016 को अपराह्न 14:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त कर उसी दिन 15:30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी। निविदा के सम्मुख अंकित धरोहर राशि एफडीआर/सीडीआर/ बैंकर्स चैक के रूप में अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय वृन्दावन के नाम बंधक रखनी होगी। निविदा खुलने की दिनांक को अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जावेगी। कार्य का विस्तृत विवरण एवं नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित रहेंगी। **1. निविदा सूचना सं. 01/2016-2017**, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय, वृन्दावन के कार्यालय हेतु 01 नग कम्प्यूटर मय संबंधित उपकरण एवं 02 अदद कुशन कम्प्यूटर ऑपरेटर वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु उपलब्ध कराना। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 200.00+वैट, धरोहर राशि रु. 2000.00 **2. निविदा सूचना सं. 02/2016-2017**, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय, वृन्दावन के अधीन विभिन्न कार्यालय एवं कैश कलैक्शन काउन्टर्स हेतु ए-4 साइज पेपर रिम की आपूर्ति कराना। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 200.00+वैट, धरोहर राशि रु. 2000.00 **3. निविदा सूचना सं. 03/2016-2017**, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय, वृन्दावन के अधीन विभिन्न कार्यालयों एवं कैश कलैक्शन काउन्टर्स पर स्थापित प्रिन्टर्स की टोनर रिफिलिंग का कार्य। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 200.00+वैट, धरोहर राशि रु. 2000.00,

(वी.पी. सिंह) अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय, वृन्दावन।
पत्रांक सं. 435/05.04.2016

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

निविदा सूचना संख्या-32/15-16:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न लिखित कार्यो हेतु अनुभवी निविदा कार (जिन्होंने जानपद पारेषण इकाई में एकल अनुबंध के अन्तर्गत समान प्रकृति का कम से कम 50% लागत का कार्य किया हो) द्वारा निविदा दि. 07.05.2016 को अपराह्न 14:30 बजे तक व्यक्तिगत/ पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदाप्रपत्र के प्रथम भाग में वांछित धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी. आर./टी.डी.आर./ सी.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में जो अधिशासी अभियंता विद्युत जानपद पारेषण खण्ड गौतमबुद्धनगर (E.E. E.C.T.D. GBN) के पक्ष में बंधक होंगी, एवं जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र, हैसियत (Solvency) प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा और निविदा के द्वितीय भाग में निविदा प्रपत्र तथा दरें होंगी। निविदा उपरोक्त दिनांक को 15:00 बजे अपराह्न उपस्थित ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधि के समक्ष सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी। प्रथम भाग पूर्ण होने पर ही द्वितीय भाग खोला जाएगा। निविदा खोले जाने के दिनांक को अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जाएगी। निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से चार माह होंगी। निविदा प्रपत्र निविदा खुलने से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में निर्धारित मूल्य पर क्रय किए जा सकते है। कारपोरेशन की वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा में निर्धारित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट अधिशासी अभियंता वि.जा.पा.खं. गौतमबुद्धनगर के पक्ष में निविदा प्रपत्र के प्रथम भाग के साथ संलग्न करना होगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा को निरस्त करने अथवा कार्य को एक से अधिक निविदादाताओं में बांटने का अधिकार सुरक्षित है। यह सूचना कारपोरेशन की वेबसाइट http://upptcl.org पर भी उपलब्ध है। **कार्य का विवरण**- 132 केवी उपकेन्द्र, सेक्टर 62 नोएडा पर नियंत्रण कक्ष की पेंटिंग व अनुरक्षण कार्य। कार्य की अवधि-दो माह, अग्रिम धरोहर राशि रु. 4000.00 निविदा मूल्य रु. 570.00। **''राष्ट्रहित में बिजली बचाएं'' अधिशासी अभियंता, विद्युत जानपद पारेषण खण्ड गौतमबुद्धनगर, उ.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि., 220 केवी विद्युत उपकेन्द्र से.-20, नोएडा।**
पत्रांक सं.-006/04.04.2016

कार्यालय वसूली अधिकारी-I, ऋणवसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली
4वीं मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री सूचना की घोषणा

निम्नलिखित सम्पत्ति आईसीआईसीआई बैंक लि. विरुद्ध श्री महेश कुमार तथा अन्य, पंजीकरण प्रमाण पत्र क्र.: 300/2015 के मामले में देयकों की वसूली हेतु 'जैसा है तथा जहां है' आधार में तथा बिना किसी आश्रय आधार में एक सार्वजनिक नीलामी सूचना के माध्यम से बिक्री की जाएगी: (1) सम्पत्ति का विवरण: मेक: Al ecomet 1212, पंजीकरण क्रमांक: एनआर/एचआर99एनएलजे0936 (अस्थाई क्र), निर्माण वर्ष: 2013, सुरक्षित मूल्य: रु. 5,50,000/-, धरोहर राशि जमा, रु. 55,000/- (2) नीलामी की तिथि तथा समय: 28.04.2016 (3) स्थल: रिद्धि गोदारा यार्ड, कटारिया चौक, सेक्टर-17, सुखराली गांव वायुसेना केंद्र (स्टेशन के पीछे, गुड़गांव (4) नीलामीकर्ता: श्री सतीश कश्यप, सम्पर्क दूरभाष सं.: 09873606950 **बिक्री की शर्तें:** यहां उपरोक्त विनिर्दिष्ट कथित परिसम्पत्ति का विवरण अधोहस्ताक्षरी की उत्तम सूचना तथा ज्ञान हेतु उल्लेखित हैं, जोकि इस प्रकार किसी त्रुटि, असत्य वित्त कथन सूची अथवा कथित विवरण में किसी प्रकार भूल-चूक इत्यादि हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे तथा इच्छुक सहभागियों से इसलिए उनके स्वयं के हित में निवेदन है कि उनकी बोलियां के जमा करने से पूर्व इस प्रकार से संबंधित विवरण समाहित कथित परिसम्पत्ति तथा अन्य प्रासांगिक विवरण के संबंध में स्वयं/उन्हें स्वयं/स्वत: को संतुष्ट कीजिए तथा इच्छुक बोलीदाताओं को वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में तथा पे-ऑर्डर/मांगदेय पत्र, दिल्ली में भुगतान योग्य के माध्यम द्वारा संबंधित वाहन के विरुद्ध उपरोक्त अंकित अनुसार धरोहर राशि जमा करना आवश्यक है तथा सफलतम उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोलीदाता अनुसार उन्हें घोषित करने में उपरोक्त उल्लेखित अनुसार धरोहर राशि जमा समायोजन पश्चात वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में पे-ऑर्डर/मांगदेय पत्र के भुगतान के माध्यम द्वारा बिक्री प्रक्रिया की 25% राशि जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की शेष 75% राशि रुपए 1,000/- पैसे तथा @2% उपकर शुल्क तथा राशि रुपए 1,000.00 पैसे से अधिक बिक्री मूल्य की @1% राशि अगले कार्यदिवस में अपरान्ह 1.00 बजे तक चुकाना होगा तथा उपकर शुल्क पंजीयनकर्ता डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में भुगतान योग्य मांगदेय पत्र के माध्यम से जमा करना होगा तथा उपरोक्त अंकित अनुसार राशि के जमा करने में असफल रहने के मामले में धरोहर राशि जमा की राशि जब्त हो जाएगी तथा इच्छुक सहभागियों से निवेदन है कि भौतिक रूप से नीलामी हेतु तिथि 28.04.2016 तक सहभागिता कीजिए अथवा न्यायलय नीलामीकर्ता से सम्पर्क कीजिए: श्री सतीश कश्यप, मोबाइल: 09873606950

आदेश द्वारा
(श्री एस.के. शर्मा)
आर.ओ.-I, डीआरटी-II, दिल्ली

भारत सीटस लिमिटेड
पंजी. कार्या. डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन नं. छ91-9643339870-74, फैक्स 0124-2341188,
Email: seats@vsnl.net,
वेबसाइट www.bharatseats.com
CIN: L34300DL1986PLC023540

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (सूचीबद्ध कृर्तघता तथा आवश्यकता उल्लेख) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी निदेशकों के मण्डल की बैठक शुक्रवार तिथि 15.04.2016 में अन्य तथ्यों के साथ-साथ तिथि 31.03.2016 में समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विचार तथा मान्यता प्राप्ति हेतु आयोजित की जाएगी तथा उपरोक्त सूचना कार्यालय वेबसाइट www.bharatseats. com तथा www.bseindia.com में भी उपलब्ध है।

कृते भारत सीटस लि.
हस्ताक्षर
(श्रीमती ऋतु बक्शी)
कंपनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 05.04.2016

प्रतिवादी की उपस्थिति अपेक्षित करने हेतु घोषणा
(सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 20)
श्री संजय कुमार, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-02 (पश्चिम) कक्ष क्र. 202, तीस हजारी, दिल्ली के न्यायालय में
वाद सं. एलएसी/5ए/2015
शीर्षक: यूओआई ....वादी
बनाम
ग्राम सभा (मुण्डका) ...प्रतिवादी
प्रेषिति,
(क) श्री कर्ण सिंह (आईपी क्र. 03) पुत्र श्री राहुल नाथ ग्राम डाक कार्यालय मुण्डका, नई दिल्ली-110041
(ख) यशपाल जिंदल (आईपी क्र.-02) पुत्र श्री ओमप्रकाश जिंदल, सी-7, 143, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
आप जानबूझकर समन की तामील की उपेक्षा कर रहे हैं। एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि यदि आप दिनांक 05.05.2016 को, जो कि अन्तिम निपटरे के लिए नियत की गई तारीख है, को अपनी प्रतिरक्षा नहीं करेंगे, तो यह एक पक्षीय आधार पर सुना तथा निर्धारित किया जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा अन्तर्गत तिथि 31.03.2016 में जारी की गई है।
मुद्रा हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-02 (पश्चिम) तीस हजारी, दिल्ली।
DIP/Shabdarth/0022/16-17

ऋणवसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली
4वीं मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री सूचना की घोषणा

निम्नलिखित सम्पत्ति आईसीआईसीआई बैंक लि. विरुद्ध मैसर्स स्वाति वियर्स तथा अन्य, पंजीकरण प्रमाण पत्र क्र.: 777/2014 तथा आई.ए क्र 12096/2015 के मामले में देयकों की वसूली हेतु 'जैसा है तथा जहां है' आधार में तथा बिना किसी आश्रय आधार में एक सार्वजनिक नीलामी सूचना के माध्यम से बिक्री की जाएगी: (1) सम्पत्ति का विवरण: मेक: रेनॉल्ट डस्टर, पंजीकरण क्र.: यूपी16एक्यू-6730, निर्माण वर्ष: 2013, सुरक्षित मूल्य: रु. 5,00,000/-, धरोहर राशि जमा, रु. 50,000/- (2) नीलामी की तिथि तथा समय: 18.04.2016 (3) स्थल: रिद्धि गोदारा यार्ड, कटारिया चौक, सेक्टर-17, सुखराली गांव वायुसेना केंद्र (स्टेशन के पीछे, गुड़गांव (4) प्रबंधक: श्री शंकर कपूर, मोबाइल नं.: 9650193259
बिक्री की शर्तें: कथित परिसम्पत्ति का विवरण कार्यालय अधोहस्ताक्षरी की उत्तम सूचना तथा ज्ञान हेतु उल्लेखित है तथा जोकि कथित विवरण में किसी त्रुटि, अशुद्धि, असत्य कथन अथवा कथित विवरण में भूल-चूक हेतु उत्तरदायी नहीं रहेंगे तथा इच्छुक सहभागियों से इसलिए निवेदन है कि उनके स्वयं के हित में कथित परिसम्पत्ति तथा बोलियां जमा करने से पूर्व इससे संबंधित अन्य प्रसांगिक विवरण के संबंध में स्वयं/उनके स्वयं/स्वत: संतुष्ट कीजिए तथा इच्छुक बोलीदाताओं हेतु आईसीआईसीआई बैंक लि. नई दिल्ली के पक्ष में तथा नई दिल्ली में भुगतान योग्य पे आर्डर/मांग देयपत्र के माध्यम द्वारा संबंधित वाहन के सम्मुख उपरोक्त अंकित अनुसार धरोहर राशि जमा करना आवश्यक होगा तथा सफलतम उच्चतम बोलीदाताओं हेतु उनके साथ अंशत: मान्यता प्राप्त की तिथि से 5 दिवसों के अन्दर-अन्दर शेष राशि जमा करना होगा तथा उपरोक्त अंकित अनुसार राशि के जमा कार्य हेतु असफल रहने के मामले में जमा धरोहर राशि जब्त हो जाएगी तथा इच्छुक सहभागिता से निवेदन है कि भौतिक रूप से नीलामी प्रक्रिया हेतु तिथि 18.04.2016 में सहभागिता कीजिए अथवा बैंक शाखा प्रबंधक श्री शंकर कपूर से सम्पर्क कीजिए।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री सुभाष अरोड़ा पुत्र श्री सहदेव राज व उनकी पत्नी श्रीमती किरन अरोड़ा, निवासी म. नं. ई-71, हरदेव नगर, झड़ौदा, दिल्ली-110084 ने अपने पुत्र हनीस अरोड़ा व उसकी पत्नी श्रीमती नीतू शर्मा से इनके गलत व्यवहार/आचरण तथा अवाज्ञा के कारण अपनी सभी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर अपने सभी संबंध विच्छेद कर दिए है। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी भी प्रकार का कार्य, लेन-देन आदि करता है तो वह उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरे मुवक्किल व उसके परिवारजन जिम्मेदार नहीं होंगे। **कपिल पाल, अधिवक्ता, चैम्बर नं. 711, 7वीं मंजिल, लायरर्स चैम्बर बिल्डिंग, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली-110085.**

ऋणवसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली
4वीं मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री सूचना की घोषणा

निम्नलिखित सम्पत्ति आईसीआईसीआई बैंक लि. विरुद्ध श्री विनय कुमार(आर एस ट्रेवल्स), पंजीकरण प्रमाण पत्र क्र.: 464/2014 तथा आई.ए. क्र. 223/2016 के मामले में देयकों की वसूली हेतु 'जैसा है तथा जहां है' आधार में तथा बिना किसी आश्रय आधार में एक सार्वजनिक नीलामी सूचना के माध्यम से बिक्री की जाएगी: (1) सम्पत्ति का विवरण: मेक: वोल्वो 9400 बीयूएस, पंजीकरण क्र.: यूपी83टी3957, निर्माण वर्ष: 2011, सुरक्षित मूल्य: रु.28,00,000/-, धरोहर राशि जमा, रु. 2,80,000/- (2) नीलामी की तिथि तथा समय: 14.04.2016 (3) स्थल: रिद्धि गोदारा यार्ड, कटारिया चौक, सेक्टर-17, सुखराली गांव वायुसेना केंद्र (स्टेशन के पीछे, गुड़गांव (4) प्रबंधक श्री शंकर कपूर, मोबाइल नं.: 9650193259
बिक्री की शर्तें: कथित परिसम्पत्ति का विवरण कार्यालय अधोहस्ताक्षरी की उत्तम सूचना तथा ज्ञान हेतु उल्लेखित है तथा जोकि कथित विवरण में किसी त्रुटि, अशुद्धि, असत्य कथन अथवा कथित विवरण में भूल-चूक हेतु उत्तरदायी नहीं रहेंगे तथा इच्छुक सहभागियों से इसलिए निवेदन है कि उनके स्वयं के हित में कथित परिसम्पत्ति तथा बोलियां जमा करने से पूर्व इससे संबंधित अन्य प्रसांगिक विवरण के संबंध में स्वयं/उनके स्वयं/स्वत: संतुष्ट कीजिए तथा इच्छुक बोलीदाताओं हेतु आईसीआईसीआई बैंक लि. दिल्ली के पक्ष में तथा नई दिल्ली में भुगतान योग्य पे आर्डर/मांग देयपत्र के माध्यम द्वारा संबंधित वाहन के सम्मुख उपरोक्त अंकित अनुसार धरोहर राशि जमा करना आवश्यक होगा तथा सफलतम उच्चतम बोलीदाताओं हेतु उनके साथ अंशत: मान्यता प्राप्त की तिथि से 5 दिवसों के अन्दर-अन्दर शेष राशि जमा करना होगा तथा उपरोक्त अंकित अनुसार राशि के जमा कार्य हेतु असफल रहने के मामले में जमा धरोहर राशि जब्त हो जाएगी तथा इच्छुक सहभागिता से निवेदन है कि भौतिक रूप से नीलामी प्रक्रिया हेतु तिथि 14.04.2016 में सहभागिता कीजिए अथवा बैंक शाखा प्रबंधक श्री शंकर कपूर से सम्पर्क कीजिए।

सार्वजनिक सूचना

मैं, सतीश कुमार पुत्र श्री टेक चन्द निवासी म. नं. 705/डी-36, वार्ड नं. 3, महरौली, नई दिल्ली ने अपनी पुत्री नमिता भारती पत्नी श्री कुलदीप से अपने समस्त संबंध समाप्त कर लिए है एवं उसको अपनी तमाम चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। कोई भी व्यक्ति, संस्था उससे किसी भी प्रकार का लेन-देन, कार्य-व्यवहार करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उक्त नमिता एवं उसके पति के किसी भी आचरण, लेन-देन का उत्तरदायी वह स्वयं होंगे मैं या मेरी सम्पत्ति नहीं।

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी श्री सुधीर शर्मा, निवासी 201/7, फर्श बाजार, शाहदरा, दिल्ली-110032 ने अपने पुत्र वैभव शर्मा को उसके गलत आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है व उससे संबंध समाप्त कर दिए हैं। वैभव शर्मा के किसी भी कृत्य/आचरण/ व्यवहार अथवा लेन-देन के प्रति मेरी उपरोक्त मुवक्किला किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगी। **चन्द्रभान गर्ग, अधिवक्ता, 5/46, पटेल गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032**

दक्षिण मध्य रेलवे
Follow us on @SCRailwayindia

निविदा सूचनाओं का विवरण कार्यालय वेबसाइट www.scr.indianrailways.gov.in में निरीक्षण किया जा सकता है।

निविदा सूचना क्र.: 15/16 तिथि: 05.04.2016
भंडार सामग्री की आपूर्ति

PUB/0366/16

निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यालय नियंत्रक भंडार सामग्री, दक्षिण मध्य रेलवे सिकन्दराबाद द्वारा मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

ई-प्रक्योरमेन्ट निविदा सूचना

निम्नलिखित निविदाएं ई-आपूर्ति प्राप्ति माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं तथा निविदा दाताओं से निवेदन है कि कार्यालय वेबसाइट www.ireps.gov.in में उपस्थित हो तथा स्वयं के प्रस्ताव जमा करें निविदा विवरण, मात्रा, निविदा आलेख्यों मूल्य तथा धरोहर राशि कार्यालय वेबसाइट में निरीक्षण की जा सकती है तथा यह लिखित किया जा सकता है कि दस्ती रूप से अथवा सादे कागज पत्र में जमा तथा संलग्न प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होंगे तथा डाक सेवा माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव मान्य नहीं हैं, निविदा की देय तिथि में निविदा प्राप्ति का बन्द समय अपराह्न 2:30 बजे तक है।

निविदा संख्या	अल्प विवरण
82155167	कोच लियर इम्प्लॉट
61165002	एफआरपी प्रोटेबल टायलेट

टिप्पणी:- निविदा खुलने की देय तिथियां: क्र. सं. 01 से 02 तिथि 28.04.2016 तथा पूर्ण विवरण कार्यालय आईआरईपीएस वेबसाइट में निरीक्षण किया जा सकता है।

नियंत्रक भंडार सामग्री
ए 0503 सिकन्दराबाद

विस्तृत निविदा शर्तें/विवरण तथा निविदा आलेख्य की प्राप्ति हेतु कृपया वेबसाइट में सम्पर्क कीजिए, http://www.tenders.gov.in अथवा www.scr.indianrailways.gov.in में सम्पर्क कीजिए

राजपुताना फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
पंजी. कार्या. 52, सामुदायिक केन्द्र, न्यू फ्रेण्ड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025
दूरभाग +91 11 61119592, ई-मेल आईडी:-rfl42383@gmail.com,
वेबसाइट www.rajputanafertilizers.com
CIN: U24121DL1990PLC042383

डाक मत पत्र सूचना

एतद्द्वारा कंपनी के सदस्यों हेतु सूचित किया जाता है कि कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 110 के प्रावधान के अनुसरण में तथा कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के साथ पढ़ें, सूचना डाक मत पत्र प्रपत्र (डाक सेवा मत पत्र प्रपत्र) के साथ शामिल करके डाक सेवा मत पत्र प्रपत्र के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्ति हेतु तथा वैद्युतीय माध्यम (ई-सेवा मतदान) कार्य द्वारा मतदान शामिल करके सदस्यों जिनके नाम सदस्यों/लाभ तथा सुविधा प्राप्त स्वामियों की पंजीयन पुस्तिका में अन्तिम तिथि अर्थात 01.04.2016 अनुसार पुस्तिका में उपस्थित है सदस्यों हेतु प्रेषित भी है तथा मतदान कार्य हेतु संबंधित सूचना तथा निर्देशों का विवरण कंपनी के सदस्यों हेतु डाक मत पत्र प्रपत्र माध्यम से भी प्रेषित सूचना में स्थापित विवरण तथा ई-सेवा मतदान कार्य प्रक्रिया शामिल करके है तथा कंपनी ने तिथि 05.04.2016 में डाक मत पत्र प्रपत्र सुविधा के माध्यम से सूचना प्रेषित करने का कार्य पूर्ण किया है तथा डाक मत पत्र प्रपत्र द्वारा मतदान कार्य प्रक्रिया के अभ्यास कार्य हेतु सुविधा निम्नलिखित समय अवधि के दौरान भी उपलब्ध होगी: मतदान कार्य के प्रारम्भ की तिथि: 11.04.2016 प्रात:काल 9:00 बजे आईएसटी से प्रारम्भ तथा मतदान कार्य की समाप्ति तिथि 10.05.2016 अप. 5:00 बजे तक आईएसटी, ई-मेल सेवा मतदान कार्य सुविधा तिथि 10.05.2016 में अप. 5:00 बजे आईएसटी पश्चात स्वीकृत तथा मान्य नहीं होगी तथा उक्त समय में इसके पश्चात प्राप्त कोई डाक मत पत्र प्रपत्र दृढ़ रूप से इस प्रकार प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं अनुसार व्यवहार किए जाएंगे तथा किसी पूछताछ/सूचना, निवेदन इत्यादि के संबंध में सदस्यगण तथा/सुविधा प्राप्त स्वामीगण निम्नलिखित पता में सम्पर्क भी कर सकते है:- श्री स्वप्न नस्कर लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., 44, सामुदायिक केन्द्र, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028 दूरभाष नं. 011-41410592, ई-मेल आईडी delhi@linkintime.co.in तथा सदस्यों जिन्होंने डाक सेवा माध्यम से डाक मत प्रपत्र प्राप्त नहीं किए है अथवा जिन्होंने ई-मेल माध्यम द्वारा डाक सेवा मत प्रपत्र प्राप्त भी किए है तथा जो भौतिक रूप से डाक मत पत्र प्रपत्र माध्यम से मतदान कार्य हेतु इच्छुक भी हैं कंपनी की वेबसाइट www.rajputanafertilizers.com अथवा www.evotingindia.com के माध्यम से डाक मत पत्र प्रपत्र प्राप्त भी कर सकते है अथवा लिंक इनटाइम प्रा. लि. पंजीयनकर्ता तथा हस्तांतरण अभिकर्ता पंजीकृत कार्यालय, 44, सामुदायिक केन्द्र, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028 से एक अनुलिपि डाक मत पत्र प्रपत्र हेतु भी निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

कृते राजपुताना फर्टिलाइजर्स लि.
श्री आलोक सांगल
पूर्ण कालिक निदेशक
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 05.04.2016